संचिका सं0 07/बजट-46--52/2025-97(7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा-- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-- 25/02/2026

विषयः--केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन 50 शय्या युक्त एकीकृत आयुष अस्पताल, मोतिहारी के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025--26 में बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025--26 में कुल रु० 14,75,39,000/-- (चौदह करोड़ पचहत्तर लाख उनचालीस हजार रूपये) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेशः स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के सबंध मे कहना है कि बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के पत्राक--8930 दिनांक--31.12.2024 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन 50 शय्या युक्त एकीकृत आयुष अस्पताल, मोतिहारी के भवन निर्माण हेतु स्थूल प्राक्कलन कुल रु० 14,75,39,000/-- (चौदह करोड पचहत्तर लाख उनचालीस हजार रूपये) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2-- उक्त कार्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना के माध्यम से करायेगे। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओ को ध्यान मे रखा जायगा--

(i) भवन निर्माण कार्य स्वास्थ्य विभाग को आवंटित भूमि परिसर मे अवस्थित उपलब्ध आवश्यक भूमि पर ही कराया जाएगा।

(ii) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि सबधित कार्य किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व मे नही कराया गया हो।

(iii) निगम द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा।

(iv) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(v) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा। भवन निर्माण कार्य मे सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसकी जिम्मेवारी भी सबधित पदाधिकारी/एजेंसी की ही होगी। सिविल सर्जन एव प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा भी यह सम्पुष्टि कर ली जाएगी कि प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पन्न करा लिया गया है।

(vi) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा। भवन निर्माण सबंधी कार्यादेश निर्गत के उपरान्त समय सीमा का पूर्ण अनुपालन की जिम्मेवारी भी सबधित पदाधिकारी/एजेन्सी की होगी।

(vii) निगम के सबधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नही हो जाय। तद्क्रम मे निगम द्वारा भी भवन निर्माण सबधी छः मासिक प्रगति से विभाग को अवगत कराया जाएगा, जबतक भवन निर्माण कार्य पूर्ण न हो जाय।

(viii) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि की पुनरीक्षण की आवश्यकता पडी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेगे।

3— उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन 50 शय्या युक्त एकीकृत आयुष अस्पताल, मोतिहारी के भवन निर्माण में राशि की व्यय हेतु केन्द्राश मद एवं सामानुपातिक राज्यांश मद के तहत् 60:40 के अनुपात में क्रमशः केन्द्राश मद की राशि रू0 8,85,23,400/— (रूपये आठ करोड़ पचासी लाख तेईस हजार चार सौ) तथा राज्याश मद की राशि रू0 5,90,15,600/— (रूपये पॉच करोड़ नब्बे लाख पन्द्रह हजार छ सौ) मात्र अर्थात कुल रू० 14,75,39,000/—(चौदह करोड पचहत्तर लाख उनचालीस हजार रूपये) मात्र निर्धारित की गयी है । उक्त केन्द्र प्रायोजित स्कीम हेतु वर्तमान मे रू० 2.00 करोड की Mother Sanction प्राप्त है, जो राज्य आयुष समिति के SAAP-2025-26 हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत Mother Sanction के अधीन है। शेष राशि आगामी वित्तीय वर्ष मे प्राप्त Mother Sanction के अधीन विकलनीय होगा।

4— इस व्यय का वहन मॉग स०—20 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष—02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं—अन्य चिकित्सा पद्धतियां, लघु शीर्ष—200 अन्य पद्धतियां, उपशीर्ष— 0202—औषधीय पौधों सबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन, विपत्र कोड—20—2210—02—200—0202 अंतर्गत विषय शीर्ष—31-05 सहायक अनुदान—परिसपत्तियो के निर्माण मद से विकलनीय होगा। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य आयुष समिति कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में नामित है। उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु उपरोक्त कार्यान्वयन एजेन्सी को SNA SPARSH अतर्गत व्यय हेतु राशि की अधिसीमा दी जायेगी।

5— उक्त राशि की निकासी हेतु निकासी एव व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे और नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाए, बिहार, पटना होगे। सबधित कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा भारत सरकार एव वित्त विभाग के पत्र स0—879 दिनाक-24 01 2025 व अन्य के दिशा निर्देशो के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि का व्यय करेंगे।

6— योजना अतर्गत केन्द्राश एव राज्याश मद मे स्वीकृत राशि का व्यय "Just-In-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार वित्त विभाग के पत्राक—879, दिनांक—24 01 2025 सह पठित Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनाक—13 07.2023 एव Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनाक—07 08 2023 मे अकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

7— ई—कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओ की धनराशि "Just-In-Time" पर जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS Division) के अंतर्गत विभाग द्वारा राज्य आयुष समिति के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है

केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम	SNA SPARSH खाता का नाम	SNA SPARSH खाता सख्या
National Ayush Mission	GOBHSPARSH BR176BINAM9158, Reserve Bank Of India, Patna	01585501193

8— राशि की निकासी वित विभाग के परिपत्र सख्या 2561 वि0(2), दिनांक 17 04 98, 8543 वि0(2), दिनाक—27 11.2007, पत्राक 879, दिनाक 24 01 2025, पत्राक 12888, दिनांक-03.12 2024 एवं अद्यतन परिपत्रो के आलोक में की जायेगी ।

9— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

10— उक्त योजना विभागीय पत्राक 45(आ०वि०) दिनांक- 07.01.2026 द्वारा स्वीकृत एव विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता मे दिनाक 06 02 2026 को आयोजित स्कीम स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुशंसित है ।

11— प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12— राज्यादेश प्रारूप मे आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—07 / बजट—46—52/2025— के पृष्ठ- 21 / टि0 में प्राप्त है।

13— संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः— 07 / बजट—46—52/2025— 97 (7A) / स्वा0, पटना, दिनांक—25 / 02 / 2026

प्रतिलिपि—योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना / मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग, बिहार, पटना / सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, अस्पताल रोड, शास्त्रीनगर, पटना / कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मजफ्फरपुर / जिला पदाधिकारी, मोतिहारी / सिविल सर्जन, मोतिहारी / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाये, बिहार, पटना / महानिदेशक (आयुष), आयुष निदेशालय, बिहार, पटना / निदेशक (आयुर्वेद) / अवर सचिव सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / लेखा शाखा, आयुष निदेशालय, बिहार, पटना / लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 7ए / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव।